



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:- 950-औस-17/पाकालि/2021-11(1)ए०एस०/09(20)

दिनांक: 20 मार्च, 2021

विषय :- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 तक मान्यता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-1640-औस-17/पाकालि/2020-11(1)ए०एस०/09(20) दिनांक 29.06.2020 की सूची-2 के अनुक्रम में कारपोरेशन द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औस-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औस-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3330-औस/2018-11(28) ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन दिनांक 01.01.2021 से अग्रेतर निरन्तरता प्रदान करते हुए दिनांक 30.06.2021 तक एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

क्र० सं०	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
1	एस०के०डी० हॉस्पिटल के०बी०सी०-27, सेक्टर-बी, कानपुर रोड, आलमबाग, लखनऊ।	30.06.2021
2	टी०सी०आई० सेण्टर, बी-05/36, विनय खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।	30.06.2021
3	फातिमा हॉस्पिटल, 35-सी०, महानगर, लखनऊ।	30.06.2021
4	मिडलैण्ड हेल्थकेयर एण्ड रिसर्च सेन्टर, बी-55, एण्ड सी-42, मन्दिर मार्ग, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ।	30.06.2021
5	क्लेरा स्वैन मिशन अस्पताल, बरेली।	30.06.2021
6	दृष्टि आई फाउण्डेशन, प्रथम तल, तिरुपति प्लाजा, बच्चा पार्क, मेरठ।	30.06.2021
7	प्रकाश हॉस्पिटल प्रा०लि०, डी-12, 12-ए एण्ड 12-बी, सेक्टर-33, नोयडा।	30.06.2021
8	गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय, गोरखनाथ मन्दिर परिसर, गोरखपुर।	30.06.2021
9	प्राची हॉस्पिटल, सेक्टर-सी-105, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, इलाहाबाद।	30.06.2021
10	नयति मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सांवरिया गैस स्टेशन के पीछे, नेशनल हाईवे-2, आगरा बाई पास रोड, मथुरा।	30.06.2021
11	मूलचन्द मेडीसिटी चिकित्सालय प्लाट नं०-643 आगरा मथुरा हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 अरतोनी, आगरा।	30.06.2021
12	कॉसमॉस हॉस्पिटल, प्रेम नगर, पोस्ट ऑफिस-काजीपुर, काँठ रोड, मुरादाबाद।	30.06.2021

- उक्त चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनके द्वारा प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।

Nal

क्रमशः 2/-

2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालयों की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. सूचीबद्ध किसी भी चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-950 (1) औसं-17/पाकालि/2021-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/ पश्चिमांचल, मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. प्रबन्धकगण-सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
14. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical/E-Book पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
17. कट फाइल।

NaF Mathur
20-3-21
(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी